राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2174/2014/जयपुर

मैसर्स पीजन स्टील,
जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–पंचम, सीकर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर.सी.अग्रवाल,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से
श्री एन.के.बैद,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 23/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 335/अ.प्रा.–III/वैट/2013–14/एम में पारित आदेश दिनांक 05.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–पंचम, सीकर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् आरोपित वैट राशि रूपये 39,434/– एवं शास्ति राशि रूपये 2,38,901/– को यथावत् रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, सीकर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** का जायेगा) द्वारा वाहन संख्या आरजे–19/जी.सी.–0943 को नाथूलाल रामस्वरूप, सीकर के यहॉ लोहा सरिया अनलोड करते हुए चैक किया गया। जांच अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी उक्त माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उन्होंने वैट इन्वाइस संख्या पीएस/162 दिनांक 06.08.2013 प्रस्तुत किया, जिसमें माल दुर्गापुरा (पं.बंगाल) से पीजन्स स्टील, जयपुर ले जाया जाना, दर्शाया गया। संदेह होने पर जांच अधिकारी द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर भिखू के ब्रिज की कांटा पर्ची दिनांक 02.08.2013 कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट बिहार का Acknowledgement Receipt का transit Decleration Form पाये गये। माल के साथ वैट–47 फॉर्म नहीं पाया गया, जो कि एक आवश्यक दस्तावेज था। इस प्रकार वाहन चालक/माल

लगातार.....2

प्रभारी के बयान एवं प्राप्त दस्तावेज मेल नहीं खाते है। जांच अधिकारी द्वारा इसे मिथ्या एवं कूट रचित दस्तावेजों से माल का परिवहन मानते हुए अभियोग बनाकर पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। सशक्त अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत वैट राशि रूपये 39,434/– एवं शास्ति राशि रूपये 2,36,901/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त माल मैसर्स मॉ शारदा सेल्स, पं. बंगाल से मैसर्स सत्कार एन्टरप्राईजेज, भरतपुर को बेचान किया गया। उसके बाद मैसर्स सत्कार एन्टरप्राईजेज, भरतपुर द्वारा उस माल का बेचान मैसर्स पीजन्स स्टील, जयपुर को किया गया। मैसर्स पीजन्स स्टील, जयपुर द्वारा पुनः उस माल का बेचान नाथूलाल रामस्वरूप, सीकर को किया गया। इस प्रकार राज्य अन्दर से राज्य अन्दर के लिए वैट–47 की आवश्यकता नहीं होती है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि माल से संबंधित दस्तावेजों से स्पष्ट कि माल दुर्गापुर (प.बं) से जयपुर के लिए था, एवं माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वैट–47 भी नहीं था। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की दृष्टि से माल का परिवहन किया जा रहा था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा वाहन को नाथूलाल रामस्वरूप, सीकर के यहॉ माल अनलोड करते हुए चैक किया गया था। वक्त जांच माल के साथ

लगातार.....3

प्रस्तुत एवं तलाशी में प्राप्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि माल राज्य के बाहर (दुर्गापुरा, प.बंगाल से राज्य के अन्दर (मैसर्स पीजन्स स्टील, जयपुर) के लिए था, एवं वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वैट–47 प्रस्तुत नहीं किये गये। सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:–

> **76(2)(b) Carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispach memos.**

7. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल–बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम का धारा 76(2)(बी) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जब वाहन को चैक किया गया, उस समय उसके पास परिवहनित किए जा रहे माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वैट–47 उपलब्ध नहीं था, अतः यह अधिनियम की धारा 76(2)(b) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपणीय है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

8. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 05.09.2014 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य